


## उत्तराखण्ड में मानव-वन्यजीव संघर्ष


### चर्चा में क्यों?

राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार, वर्ष 2017 से अब तक हिमालयी राज्य में 444 लोग मानव-वन्यजीव संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं।

### मुख्य बदि:

- पीड़ितों को मारने वाले जानवरों में **तेंदुए, बाघ, भालू, साँप, हाथियों और तेंदुए** शामिल थे।
- पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को कुल 21.3 करोड़ रुपए वतिरति किये गए हैं।
- पीड़ितों के लिये मुआवज़ा राशबिद्वाने के अलावा, यह पहली बार है किराज्य ने **मधुमकखी, हॉर्नेट (तेज़ डंक मारने वाला भडि), बंदर और लंगूर** द्वारा हमला किये गए लोगों को अनुग्रह राशबिद्वाने का प्रावधान किये है।
  - अनुग्रह भुगतान वह धनराशबिद्वाने जो नैतिक दायत्व के कारण भुगतान किये जाता है न किराज्यी दायत्व के कारण।





# मानव-वन्यजीव संघर्ष

जब मानव तथा वन्यजीवों के आमने-आने से संपत्ति, आजीविका तथा जीवन की हानि जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं

#### मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण

- कृषि संबंधी विस्तार
- शहरीकरण
- अवसंरचनात्मक विकास
- जलवायु परिवर्तन
- वन्यजीवों की आवादी में वृद्धि तथा इनके क्षेत्र (रेंज) का विस्तार

#### मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव

- गंभीर चोटें, जीवन की हानि
- खेतों और फसलों को नुकसान
- जानवरों के खिलाफ हिंसा विस्तार

2003-2004 के दौरान WWF इंडिया ने सौनितपुर मॉडल विकसित किये जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को असम वन विभाग से जोड़ा गया और हाथियों को फसली खेतों तथा मानव आवासों से सुरक्षित रूप से दूर करने का प्रशिक्षण दिया गया।

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नौलगिरी हाथी गलियारे पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिये मार्ग के अधिकार (Right of passage) और क्षेत्र में रिसॉर्ट्स को बंद करने की पुष्टि की गई थी।

#### मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु सलाह (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति)


- समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार (WPA 1972)
- मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिये मुआवज़ा (पीएम फसल बीमा योजना)
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिये स्थानीय/राज्य विभाग
- पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करना

#### राज्य-विशिष्ट पहलें


- उत्तर प्रदेश-** मानव-पशु संघर्ष सूचीबद्ध आपदाओं के अंतर्गत शामिल (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में)
- उत्तराखण्ड-** क्षेत्रों में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को उगाकर बायो-फेंसिंग की जाती है
- ओडिशा-** जंगली हाथियों के लिये खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु वनों में सीड बॉल डालना

#### मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आँकड़े

	2019	2020	2021
बाघों द्वारा मारे गए मनुष्य	50	44	31
बाघों की प्राकृतिक मृत्यु	44	20	4
बाघों की अप्राकृतिक मृत्यु, शिकार द्वारा नहीं	3	0	2
जाँच के दायरे में बाघों की मौत	22	71	07
शिकार के चलते बाघों की मृत्यु	17	8	4
जन्मी	10	7	13



	2018-19	2019-20	2020-21
हाथियों द्वारा मारे गए मनुष्य	-	585	461
ट्रेनों द्वारा मारे गए हाथी	19	14	12
विद्युत आघात द्वारा	81	76	65
शिकार द्वारा	6	9	14
विष देकर	9	0	2



वर्ष 2021-22 में हाथियों द्वारा 533 मनुष्य मारे गए